पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28-12-2020

दिनांक 27/28-12-2020 को रात्रि थाना गोमतीनगर 01, अमीनाबाद 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 उत्तरी

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना मड़ियॉव:-दिनांक 28-12-2020 को थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि दिनांक 27-12-2020 को वादिनी निवासी मड़ियांव थाना मड़ियांव लखनऊ द्वारा थाना मड़ियांव पर अपनी 15 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 323/354/504/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट का अभियोग बनाम 01-रोहित राजपूत के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री टिाव सिंह थाना मड़ियांव द्वारा की जा रही थी। विवचेना के दौरान आज दिनांक 28-12-2020 को** एस0आई0 श्री टिाव सिंह थाना मड़ियांव लखनऊ द्वारा उक्त मुकदमें कें नामजद अभियुक्त **01-रोहित राजपूत पुत्र चेतराम निवासी कृ्दणलोक कालोनी फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर फैजुल्लागंज मड़ियांव से गिरफ्तार कर थाना मड़ियांव पर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना गाजीपुर:-दिनांक 28-12-2020 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि दिनांक 27-12-2020 को वादी श्री निर्मल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 बालक राम गुप्ता निवासी ग्राम व थाना संडीला जनपद हरदोई द्वारा थाना गाजीपुर पर धारा 498ए/504/506/307 भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट का अभियोग बनाम 1-सौरभ गुप्ता (पति) व अन्य ससुरालीजनों के विरूद्व इस सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था, कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री वन्दना गुप्ता उम्र करीब 27 वर्ष को दहेज के लिए प्रताडित करना, मारना पीटना, गाली गलौज करना व वादी की पुत्री वन्दना को जान से मारने की नियत से जला देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना गाजीपुर लखनऊ बृजेश कुमार ऋसह द्वारा की जा रही थी।** विवेचना के दौरान आज दिनांक 28-12-2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना गाजीपुर लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त **01-सौरभ गुप्ता (पति) पुत्र वीरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी सेक्टर-17/477 थाना गाजीपुर लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर मुन्८ाी पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना गाजीपुर पर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना गोसाईगंज:-दिनांक 28-12-2020 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 बाल गोविन्द यादव निवासी ग्राम देवसिंह खेड़ा पोस्ट मोहारी खुर्द थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि वादी की जेल रोड़ पर मोहारीकलां के पास किराना स्टोर की दुकान है। प्रतिदिन की भॉति दिनांक 26-12-2020 को समय करीब 08.30 बजे रात्रि को वादी अपनी

उक्त दुकान बंद करके अपने घर चला गया था। दिनांक 26/27-12-2020 की रात्रि समय करीब 01.30 बजे वादी अपनी उक्त दुकान देखने के लिए गया तो देखा कि दुकान के सामने दो पिकप गाड़ी खड़ी थी, तथा दुकान के अन्दर से कुछ लोग सामान लाद रहे है। वादी द्वारा मौके पर पहुॅच कर ७ोर मचाया गया तो उक्त अज्ञात व्यक्ति दोनो पिकप को लेकर भागने लगे वादी द्वारा कुछ दूर उक्त भाग रहे वाहन का पीछा किया गया, परन्तु वह व्यक्ति नही मिले, फिर वादी अपनी दुकान पर वापस आया तो देखा कि दुकान का ७टर तोड़कर दुकान के अन्दर से भारी मात्रा में सामान को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस सूचना पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 646/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री फिरोज आलम सिद्दीकी द्वारा की जा रही है।**